रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 1986/कार्तिक 7, 1908
No. 247, NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 29, 1986/KARTIKA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1986

शुद्धिपत्र

फा. सं. आर. 11012/2/84-प्रार. डब्ल्यू :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड I में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के तारीख 11-1-1985 के संकल्प संख्या आर.-11012/2/84 आर डब्ल्यू के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"5 उक्त बल दो चरणों में अपनी रिपोर्ट देगा—पहले चरण में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बारे में और दूसरे चरण में संगठित क्षेत्र के बारे में । दोनों चरणों की रिपोर्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिये ।"

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्तनिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th October, 1986

CORRIGENDUM

File No. R-11012|2|84-RW.—In the Ministry of Labour Resolution No. R- 11012|2|84-RW, dated 11-1-1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"5. The Group will submit its report in two phases, the first phase about the decentralised Sector and the second phase being about the organised Sector Reports of both phases should be submitted within a period of two years."

A. K. SRIVASTAVA, Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986